Journal of Advances and Scholarly Researches in Allied Education
Vol. 19, Issue No. 1, January-2022, ISSN 2230-7540

मलिन बस्तियाँ: पर्यावरण पर प्रभाव (ग्वालियर जिले की केस स्टडी)

Dr. Swati Verma*

सार (Abstract) - नगरों में रहना, आधुनिक मानव पारिस्थितिकी का मुख्य आधार है। पिछले कुछ दशकों में शहरों की वृद्धि और विस्तार शीघ्रता से हुआ है। शहर रोजगार और शिक्षा का स्रोत हैं और वे आर्थिक वृद्धि का केन्द्र भी हैं तथापि वे गरीबी, असमानता और पर्यावरणीय स्वास्थ्य आपदाओं का भी स्रोत हैं। जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ जिस तरह नगरीकरण तथा औद्योगीकरण ने प्राकृतिक और सामाजिक समस्याएँ उत्पन्न की हैं उनमें मलिन बस्तियाँ भी एक ज्वलंत समस्या है। मलिन बस्तियों का विकास परिस्थितिवश उत्पन्न एक समस्या है जिसमें समुदाय का एक बड़ा वर्ग हिस्सा लेता है। झुग्गी एक अत्यधिक आबादी वाला शहरी आवासीय क्षेत्र है जिसमें ज्यादातर खराब, अधूरे पड़े अधोसंरचना की स्थिति में आवासहीन इकाइयाँ हैं, जो मुख्य रूप से गरीब लोगों द्वारा बसाई गई हैं। यह शहर का एक हिस्सा है जहां आवास की गुणवत्ता कम है और रहने की स्थिति खराब है। इस शोध पत्र में स्लम की पर्यावरणीय समस्याओं और अनौपचारिक अधिवासों की संरचना से परिचित कराया जाएगा और उसका विश्लेषण किया जाएगा। इसके साथ-साथ मलिन बस्तियों के उन्नयन के उपाय भी सुझाएँ जाएँगे।

Key Words – Employment, Poverty, Health, Amenities, Industrialization, Environment Decay, Rapid Urbanization, Urban Infrastructure, Informal Settlement, Economic Growth.

----------X----------

परिचय (INTRODUCTION):

औद्योगीकरण एवं नगरीकरण को नगरों मे अनेक समस्याओं को उत्पन्न करने का श्रेय दिया जाता है। इनमें गंदी बस्तियाँ भी एक प्रमुख समस्या है। वास्तविकता यह है कि प्रत्येक समाज एवं प्रत्येक राष्ट्र में यह समस्या पाई जाती है। भले ही इसका स्वरूप भिन्न हो, अंतर केवल मात्रा का हो सकता है। भारत के विभिन्न नगरों में गंदी बस्तियों का नाम पृथक्-पृथक् है। उदाहरणस्वरूप कोलकाता में स्लम को बस्ती, दिल्ली में इसे झुग्गि-झोपड़ी, मुम्बई में चॉल या झोंपड़पट्टी, चेन्नई में पेरी, बैंगलोर में keris तथा कानपुर में इसे अहाता कहा जाता है। भारत में स्लम के नाम में भले ही क्षेत्रीय भिन्नता पाई जाती हो लेकिन इन सभी मलिन बस्तियों में भौतिक विशेषता समान पाई जाती है।

स्लम को 'एक आवासीय क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जहां आवास जीर्णता, अतिवृष्टि, वेंटिलेशन या स्वच्छता सुविधा की कमी और अस्वच्छ परिस्थितियों में पीने के पानी की असुविधा के कारण मानव आवास के लिए अयोग्य हैं।' जबकि भारत की अर्थव्यवस्था में पिछले कई दशकों से लगातार उछाल आ रहा है और स्वच्छ भारत अभियान (स्वच्छ भारत मिशन) दूसरे वर्ष में प्रवेश कर रहा है। विश्व में 360 मिलियन गरीब नागरिक हैं जो सबसे अधिक जीर्ण परिस्थितियों में रहते हैं। मलिन बस्तियाँ हमारे देश का अपरिहार्य और अंधकारमय पक्ष बन गई हैं।

गंदी बस्तियों की समस्या ने वर्तमान समय में राष्ट्रव्यापी रूप धारण कर लिया है। इस एक समस्या ने अनेक सामाजिक समस्याओं का फैलाव करने में प्रमुख भूमिका निभाई है। चूँकि इन बस्तियों में मध्यम एवम् निम्न वर्ग के परिवार रहते हैं तथा इनकी आय के स्रोत एवम् आय इतनी सीमित रहती है जिससे ये अपने परिवार के सदस्यों का भरण-पोषण सुचारू रूप से नहीं कर पाते। इन बस्तियों में अपराध, बाल-अपराध, वैश्यावृत्ति, मद्यपान, मादक द्रव्यों को रखने का स्थल एवम् अन्य अनैतिक कार्य होते हैं और गंदी बस्तियां अनैतिकता का अड्डा बन जाती हैं। इन बस्तियों में आधारभूत सुविधा जैसे पानी, हवा, बिजली, रोशनी, स्नानगृह की कमी व शौचालय, अपर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था एवं ठोस अपशिष्ट व कचरे के निपटान आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण

www.ignited.in

यह बस्तियां वायु तथा जल जनित बीमारियों का घर बन गई हैं। अधिकांश महिलाएं व बच्चे बीमार व रोगग्रस्त होते हैं जिन्हें दवाइयां व इलाज की व्यवस्था न होने के कारण नारकीय जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।

गंदी बस्तियों की परिभाषा

गंदी बस्तियों की परिभाषा देना कठिन है लेकिन फिर भी कुछ विद्वानों ने इस संबंध में अपने विचार निम्नलिखित अनुसार दिए हैं-

1. गंदी बस्ती (Slum) को परिभाषित करते हुए बर्गेल (Bergel) ने लिखा है, "Slums may be characterized as areas of sub-standard housing conditions within a city." इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि गंदी बस्ती (Slum) एक क्षेत्र है न कि neglected building साथ ही इस परिभाषा से यह भी स्पष्ट होता है कि यदि नगर के बीच निम्न निवास व्यवस्था पाई जाए तो उसे गंदी बस्ती कहा जा सकता है।

2. **संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार-** "गंदी बस्ती एक मकान, मकानों का एक समूह या क्षेत्र है जिसकी विशेषता भीड़भाड़युक्त, अस्वास्थ्यकर दशा तथा सुविधाओं का अभाव है। इन दशाओं या इनमें से किसी एक के कारण इसके रहवासियों के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं नैतिकता को खतरा उत्पन्न हो जाता है।"

3. **भारत सेवक समाज के अनुसार-** "गंदी बस्ती उस क्षेत्र को कहा जा सकता है, जो अस्त-व्यस्त बसा हो, अव्यवस्थित रूप से विकसित हो तथा सामान्य रूप में वह क्षेत्र जनाधिक्य व भीड़भाड़युक्त हो, टूटे-फूटे मकान हों तथा उनकी मरम्मत के प्रति उपेक्षा बरती गई हो।"

The definition used in the 2001 Census for 2011 Census. The definitions of different types of Slums and code to be assigned are as follows:

I. All notified areas in a town or city notified as 'Slum' by state, UT Administration or Local Government under any Act including a 'Slum Act' may be considered as Notified Slums and assigned code 1;

II. All areas recognized as 'Slums' by state, UT Administration or Local Government, Housing and Slum Boards, which may have not been formally notified as Slum under any act may be considered as recognized Slums and assigned code 2;

III. A compact area of at least 300 populations or about 60-70 households of poorly built congested tenements, in unhygienic environment usually with inadequate infrastructure and lacking in proper sanitary and drinking water facilities. Such areas should be identified personally by the charge officer and also inspected by an officer nominated by DCO. This fact must be duly recorded in the charge register. Such areas may be considered as identified slums and assigned code 3; (Census of India 2011-Circular no.8)

'UNITED NATION HABITAT' ने स्लम परिवारों को जिन्हें समूह के रूप में चिन्हित किया है जो शहरी क्षेत्रों में एक ही छत के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं। इनके पास एक या एक से अधिक परिस्थितियों की कमी होती है, जिसका वर्णन किया है:

- स्थायी टिकाऊ आवास जो प्रकृति की अत्यधिक खराब जलवायु स्थिति से रक्षा कर सके।
- पर्याप्त रहने की जगह, जिसका अर्थ है कि तीन लोगों से अधिक व्यक्ति एक ही कमरे को साक्षा न करे।
- पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित पानी तक आसान पहुँच जो किफायती मूल्य पर मिल सके।
- निजी तथा सार्वजनिक शौचालयों में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था तथा पहुँच हो जिसे उचित संख्या में लोगों द्वारा साझा किया जा सके।
- कार्यकाल की सुरक्षा जिसमें कार्यरत व्यक्ति की कार्य से बेदखली को रोका जाए (Slum Dwellers to double by 2030% United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT) report, April 2007)

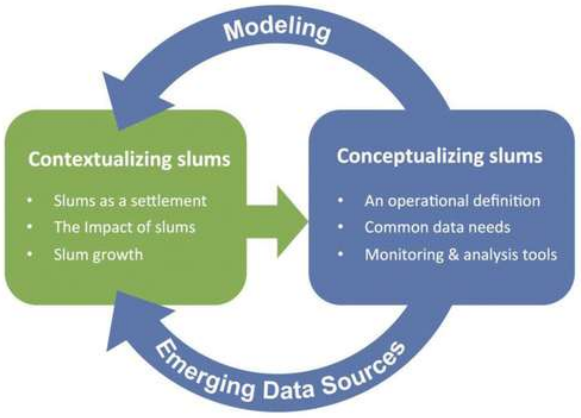

Fig. Framework for studing and understanding slums.

www.ignited.in

मलिन बस्तियों की विशेषताएँ (CHARACTERISTICS OF SLUMS):

स्लम में जैसे-जैसे भीड़ बढ़ता है पर्यावरण ज्यादा प्रदूषित होता है और परिणामस्वरूप यहाँ ज्यादा कचरा, गंदगी और मलोत्सर्जन होता है। स्लम का भौतिक वातावरण सुविधाओं के परिणाम पर निर्भर करता है जिसमें रहने की सुविधा, उपलबद्ध पानी, शौचालय, जल निकासी और प्रकाश व्यवस्था, दुर्भाग्य से प्रदूषण के उच्च स्तर, बुनियादी जरूरतों की कमी और कमरों में भीड़-भाड़ स्लम आवास की कुछ बुनियादी विशेषताएं हैं।

- इन बस्तियों में स्वास्थ्य एवम् सफाई का अभाव पाया जाता है।
- इन बस्तियों में मकानों में भीड़भाड़ होना आम बात है।
- इनमें निवास करने वाले परिवारों का जीवन स्तर निम्न होता है।
- इन बस्तियों में रहने वाले मजदूरी व निम्न स्तर का व्यवसाय करने वाले होते हैं।
- इन बस्तियों की बसावट में सरकार की स्वीकृति नहीं होती है।
- इन बस्तियों में पानी हेतु नल, बिजली, शुद्ध हवा, अच्छे पक्के रास्ते नहीं होते हैं।
- इन बस्तियों के निवासी अशिक्षित, अज्ञानी व आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त होते हैं।
- इन बस्तियों में असामाजिक कार्य एवम् अपराध होते रहते हैं।
- गन्दी बस्तियों में रहने वाले व्यक्ति स्वयं की सफाई तथा स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते।
- गंदी बस्ती में रहने वाले शराब, धूम्रपान व अन्य नशे के आदी होते हैं।

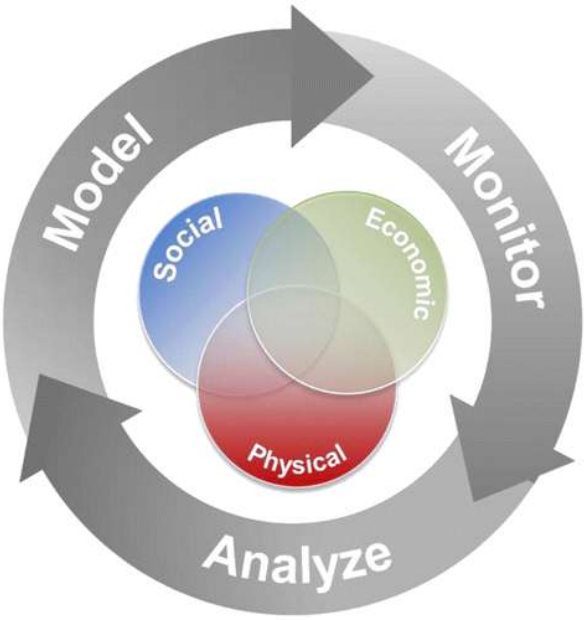

Fig. Conceptual model for integrating social and physical constructs to monitor, analyze and model slums.

ग्वालियर जिले में स्लम की स्थितिः

ग्वालियर में स्थित स्लम की स्थिति आम स्लमों (typical slums) से भिन्न है और वह यह है कि इन स्लमों में ज्यादातर निर्माण स्थायी हैं, और कुछ तो साठ सालों से भी अधिक पुराने हैं। ग्वालियर जिले में 11,70,060 की कुल नगरीय जनसंख्या में 1,88,009 व्यक्ति मलिन बस्तियों में रहते है जो कुल नगरीय जनसंख्या का 16.07% है। पिछोर नगर में सबसे ज्यादा स्लम जनसंख्या पाया जाता है जो 61.69% है वहीं आंतरी नगर में सबसे कम स्लम जनसंख्या 5.53% है।

ग्वालियर की लगभग एक तिहाई आबादी (लगभग 33.7%) झुग्गियों में रहती है जहाँ बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, स्वच्छता और स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुँच नाकाफी है। खुले में शौच एक आम बात है जो इन समुदायों के स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। इन मलिन बस्तियों में स्वास्थ्य और स्वच्छता के बिगड़ते हालात को देखते हुए, नगर निगम ग्वालियर ने स्वच्छता की सुविधा को सबसे संवेदनशील स्थान प्रदान करने का निर्णय लिया जिसमें संयुक्त राष्ट्र हैबिटैट और वाटर एड इंडिया के साथ एक त्रिपक्षीय साझेदारी के माध्यम से आबादी को स्वच्छता की सुविधा मुहैया कराई जाए। नगर निगम ग्वालियर ने मलिन बस्तियों की स्वच्छता के लिए एक पर्यावरण स्वच्छता अभियान चलाया जिसके माध्यम से 16 मलिन बस्तियों की पहचान की गई जिसका स्थिति अनुसार विश्लेषण किया जाएगा। लक्ष्मणपुरा झुग्गी

एक ऐसी स्लम है जहाँ स्थानीय संस्था छण्ळण्व्ण् 'संभव' की मदद से अभियान चलाया गया था।

लक्ष्मणपुरा शहर के बीचोंबीच स्थित एक 150 साल पुरानी झुग्गी है, जिसमें ज्यादातर लोग आमतौर पर अकुशल श्रम के माध्यम से जीवनयापन करते है। स्लम में स्वच्छता की स्थिति बहुत खराब थी। अधिकांश लोग शौच के लिए पास के रेलवे टैªक का उपयोग करते हैं, जो कई बार गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बनता है। इस झुग्गी में स्वच्छता को बेहतर बनाने के लिए मुख्य चुनौती यह थी कि लोग खुले में शौच से संतुष्ट थे और वे इसमें कोई बदलाव नहीं चाहते थे।

TABLE: PROPORTION OF SLUM POPULATION IN TOWN, 2011

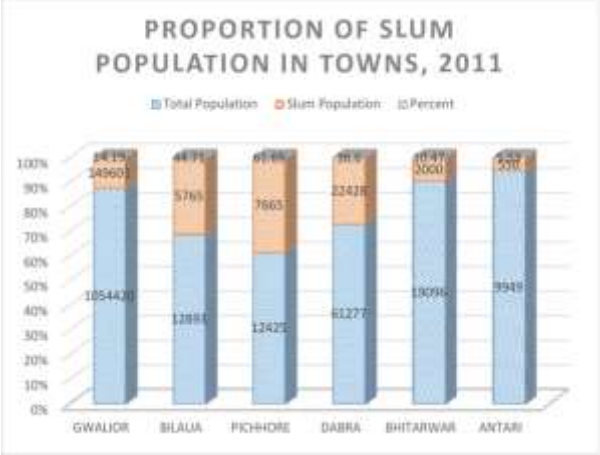

ग्वालियर जिले में स्लम विकास के कारण (REASONS FOR DEVELOPMENT OF SLUMS):

स्लम की घटना कोई नई नहीं है। वे अधिकांश शहरों के इतिहास का हिस्सा रहे है, खासकर शहरीकरण तथा औद्योगिकीकरण के शुरूआती वर्षों में जनसंख्या में उछाल आया है। स्लम आमतौर पर शहरों में गरीबों के लिए सस्ती और सुलभ एकमात्र बस्ती हैं, जहाँ जमीन और मुनाफे के लिए प्रतिस्पर्धा तीव्र है। झुग्गियां विकसित होने के दो मुख्य कारण हैं: जनसंख्या वृद्धि और शासन।

जहाँ तक गंदी बस्ती की उत्पत्ति या विकास के कारकों का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि यह समस्या किसी एक कारक की उपज नहीं है।

1. **जनसंख्या की वृद्धि दर (शहरीकरण):-** सबसे पहले भारतीय जनसंख्या की वृद्धि दर बहुत अधिक है और यह विकास दर शहरी क्षेत्रों में बहुत अधिक है क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर लोगों का पलायन होता है। गरीबी, बेरोजगारी, अन्य सुविधाओं की कमी और महत्वपूर्ण रूप से अपनी स्थिति को ऊँचा करने के लिए, लोग शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन करते हैं, शहरों में सुविधाएं ग्रामीणों के लिए शहद का जाल की तरह होता है। शहरी क्षेत्रों में बढ़ती जनसंख्या के साथ नागरिक सुविधाओं की विकास दर में तेजी नहीं है। विकास दर में यह अंतर मलिन बस्तियों के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ प्रदान करता है।

2. **खराब आवास योजनाः-** सस्ती कम लागत वाले आवासों की कमी और सरकार द्वारा खराब योजना, मलिन बस्तियों के आपूर्ति पक्ष को प्रोत्साहित करती हैं। अपर्याप्त वित्तीय संसाधन और सरकारी नौकरशाही में समन्वय की कमी गरीब आवास योजना के दो मुख्य कारण हैं।

3. **गाँवों का धीमा विकासः-** भारत में गांवों का विकास बुनियादी आवश्यकता के स्तर पर भी नहीं किया जाता है, और आज भी लोग पानी, बिजली और कई अन्य बुनियादी सुविधाओं की कमी का सामना कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की यह कमी लोगो को शहरी क्षेत्रों में पलायन करने के लिए मजबूर करती है, जिससे शहरी आबादी पर दबाव बढ़ता है। हालांकि यह मलिन बस्तियों की उत्पत्ति के लिए बहुत स्पष्ट कारण नहीं है, लेकिन यह अभी भी उनमें से एक हैं।

4. **वोट की राजनीतिः-** वोट की राजनीति भी मलिन बस्तियों का समर्थन करती है। मलिन बस्तियों को हटाने से राजनेता के हितों का टकराव होता है। स्लम आबादी के पास आसान वोट बैंक की एक अच्छी मात्रा है और राजनेता चाहते हैं कि वे वैसे ही रहें, क्योंकि उनके उत्थान और शिक्षा से उनके वोट बैंक को नुकसान होगा।

5. **शहरों में घरों का उच्च किराया दरः-** गरीब लोग जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, कस्बों में घरों के उच्च किराए का भुगतान करने में सक्षम नहीं हैं। इसलिए जहां भी उन्हें कोई भूमि, सार्वजनिक या निजी लगती है, वे अस्थायी झोंपड़ियों में रहने लगते हैं, जैसे-जैसे समय बढ़ता है, अधिक से अधिक लोग उनसे जुड़ते हैं और यह क्षेत्र जल्द ही स्लम में विकसित होता है।

6. **शरणार्थिः-** भारत के कुछ स्लम इलाके शरणार्थियों द्वारा बसाए गए हैं। एक बार जब एक क्षेत्र को झुग्गी

www.ignited.in

के रूप में चिन्हित किया जाता है, तो शहरों में बढ़ती जनसंख्या दबाव के कारण यह बढ़ने लगता है।

सरकार द्वारा मलिन बस्तियों की योजना नहीं बनाई जा सकती है, लेकिन गांव के विकास के प्रति इसका गैर जिम्मेदाराना रवैया झुग्गी निर्माण का मूल कारण है। इसलिए झुग्गियों को खत्म करने का एकमात्र तरीका गांवों से शहरी क्षेत्रों में पलायन को रोकना है। हालाँकि, यह समस्या को नहीं मिटाएगा लेकिन समस्या के समाधान में कुछ योगदान अवश्य करेगा। छोटे शहरों में रोजगार सृजन और शहरी नियोजन भी उतना ही महत्वपूर्ण कदम होगा।

अध्ययन क्षेत्र (RESEARCH AREA)

ग्वालियर जिला मध्यप्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित है, जिसकी भौगोलिक स्थिति 25°45' उत्तरी अक्षांश से 26°15' उत्तरी अक्षांश और 77°39' पूर्वी देशांतर से 78°22' पूर्वी देशांतर के मध्य लगभग अण्डाकार आकृति में फैला हुआ है। ग्वालियर जिले की धरातलीय स्थिति सपाट न होकर ऊँची-नीची है अतः इसकी धरातलीय ऊँचाई उत्तरी-पूर्वी दिशा में 663 फीट (नीचा) तथा दक्षिण-पश्चिम दिशा में 1360 फीट (ऊँचा) है। ऊँचाई पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। इसकी पूर्व से पश्चिम तक चौड़ाई लगभग 93.5 कि.मी. तथा उत्तर से दक्षिण की तरफ लम्बाई 47.21 कि.मी. है। इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 4,560 वर्ग कि.मी. है जो कि मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 1.48 प्रतिशत है। इसकी समुद्र तल से औसत ऊँचाई 205 से 212 मीटर के मध्य है लेकिन जिला के पहाड़ी क्षेत्र में कहीं-कहीं ऊँचाई 400 मीटर तक है। यहाँ की कुल जनसंख्या 20,32,036 है जिसमें 8,82,258 पुरूष तथा 7,47,623 महिलायें है। ग्वालियर जिले की दशकीय वृद्धि दर 24.41% है।

Figure: Location map of Gwalior District

शोध समस्या (RESEARCH PROBLEM)

एक झुग्गी, जिसे आमतौर पर भारत में झुग्गी-झोपड़ी कहा जाता है, आवासीय क्षेत्र है जहाँ अति भीड़, वेंटिलेशन की कमी, प्रकाश और सैनिटरी सुविधाओं की कमी, अस्वच्छ स्थिति और अन्य कारकों के कारण आवास सुरक्षा, स्वास्थ्य और नैतिकता के लिए हानिकारक हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन के अनुमानों के अनुसार, शहरी आबादी का लगभग 21.2% मलिन मस्तियों में रहता है। यह अनुपात कोलकाता, मुंबई जैसे महानगरीय शहरों में और भी अधिक है, पहला सवाल जो यहाँ उठता है वह यह है कि मलिन बस्तियों का विकास कैसे हुआ, उनके विकास के लिए क्या आवश्यकताएं हैं। कुछ कारकों की किस्में हैं जो मलिन बस्तियों के निर्माण में मदद करती हैं।

शहरीकरण और पलायन ने शहरी मलिन बस्तियों की समस्या पैदा कर दी है, जिसमें गरीबी और बेरोजगारी सह-अस्तित्व में हैं, इसके अलावा पानी और स्वच्छता की उपलब्धता सहित कई अन्य समस्याएं है। 486 घरों के प्राथमिक सर्वेक्षण के आधार पर, अध्ययन का उद्देश्य मध्य प्रदेश में ग्वालियर शहर की गरीबी और गरीबी की स्थिति का पता लगाना है। अध्ययन में पाया गया है कि ग्वालियर में अधिकांश श्रमिक आकस्मिक या दैनिक मजदूरी रोजगार में लगे हुए हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि ग्वालियर की मलिन बस्तियों में गरीबी 1999-2000 की गरीबी रेखा के अनुमान के आधार पर लगभग 68 प्रतिशत है और 2005 के अनुमानों के आधार पर लगभग 80 प्रतिशत है। अतः मलिन बस्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि और उससे उत्पन्न पर्यावरणीय समस्याओं के कारण मेरा ध्यान इस ओर आकृष्ठ हुआ जिससे मैं अपने शोध पत्र "मलिन बस्तियाँ: पर्यावरण पर प्रभाव" के माध्यम से उत्पन्न समस्या और समस्या के निवारण हेतू सुझाव प्रस्तुत कर सकूँ।

विधि तंत्र (METHODOLOGY)

शोध पत्र में शोधार्थी ने प्राथमिक और द्वितीयक दोनों प्रकार के डाटा का उपयोग किया है जिसमें प्राथमिक डाटा के अन्तर्गत अवलोकन एवं साक्षात्कार इत्यादि माध्यमों को अपनाया और द्वितीयक डाटा के अन्तर्गत ब्मदेने व Census of India 2011, District Census Handbook Gwalior, UNITED NATION HABITAT Report, जिला सांख्यिकी पुस्तिकाएँ, समाचार पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकें सम्मिलित है जिसका अध्ययन कर शोधसमस्या को उजागर करने का प्रयास किया गया है।

CASE STUDY OF SLUMS (GWALIOR DISTRICT)

Objective: यह अध्याय स्लम क्षेत्र की केस स्टडी को दर्शाता है, तथा यह ग्वालियर नगरीय क्षेत्र के विभिन्न वार्ड के लोकेशन को भी दर्शाता है। सूक्ष्म रूप से स्लम की दशा बहुत खराब है। यह अध्ययन सुझाव भी देगा कि किस तरह से स्लम में बेहतर जीवन की गुणवत्ता के लिए नीतियाँ बनाई जाएं।

ग्वालियर नगरीय क्षेत्र में स्लम का फैलाव दूर तक हुआ है। स्लम का वर्तमान अध्ययन ग्वालियर नगर निगम सीमा तक सीमित है। ग्वालियर नगर निगम सीमा में 1417 कॉलोनी सहित कुल 60 वार्ड है। 60 वार्ड मे से लगभग 48 वार्ड में स्लम जैसी स्थिति पाई जाती है जिसमें 149 कॉलोनी आती है। यह वार्डो का 80 प्रतिशत और कॉलोनियों का 10.5 प्रतिशत प्रतिनिधित्व करता है। ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र की कुल जनसंख्या 10,53,505 (2011 ब्मदेने) है। इनमें से स्लम की जनसंख्या 4,62,045 है जो कुल जनसंख्या का 43.9 प्रतिशत है। ग्वालियर नगर निगम क्षेत्र में कॉलोनी की कुल संख्या में 10.5 प्रतिशत कॉलोनी स्लम की है। जबकि जनसंख्या का अनुपात 43.9 प्रतिशत है। इसका अर्थ है कि स्लम कॉलोनी विस्तृत है और इनमें जनसंख्या का घनत्व सघन है। यहाँ 12 वार्ड है जो Slum की तरह प्रतीत नहीं होते। यह वार्ड सिटी सेंटर में और इसके आस-पास स्थित है, जहाँ नया नगरीय क्षेत्र विकसित हुआ है। घने रूप में स्लम पुराने शहर ग्वालियर, लश्कर (कम्पू) और केन्द्रीय व्यापारिक क्षेत्र महाराज बाड़ा के पास अवस्थित है।

Table: Slums Population in GMC

Variables	Wards	Slums	Percent
Number	60	48	80.0
Colonies within wards	1417	149	10.5
Population	10,53,505	4,62,045	43.9

Source: Calculated from the data of GMC, 2011

Slum in Gwalior

Slum of Gwalior Fort

Case-1: माण्डरे की माता (कैंसर पहाड़ी)

माण्डरे की माता स्लम क्षेत्र कम्पू क्षेत्र (लश्कर) स्थित कैंसर पहाड़ी पर अवस्थित है। यह नया अतिक्रमण क्षेत्र है, जहाँ लोग 15 साल पहले ग्वालियर शहर और उसके आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों के विभिन्न भागों से प्रवास करके आए। अधिकतर लोग नौकरी की तलाश में प्रवास करके आए और यहीं बस गए।

इस केस स्टडी में 24 स्लम के परिवारों को लिया गया। प्रश्नावली की संरचना तैयार की गई और सभी परिवारों का साक्षात्कार लिया गया। इनमें मुख्य प्रश्न उठा- साक्षरता, आय, नौकरी, स्वास्थ्य परिस्थिति, पर्यावरणीय दशा, जल की गुणवत्ता और उपलब्धता, स्कूल और अस्पताल की उपलब्धता शामिल है।

इस क्षेत्र में कुल जितने भी लोग रहते है उनमें से केवल चार लोगों के पास सरकारी नौकरी या अन्य नौकरी है। बाकी सब लोगों के पास या तो नौकरी नहीं है या फिर वे दैनिक वेतन पर मजदूरी का काम करते है और आय कमाते है। घर अस्थाई रूप से बना हुआ है, सिर्फ तीन घर ईंट और कंक्रीट के बने हुए थे। अस्थाई घरों की स्थिति काफी दयनीय थी। बरसात के मौसम के दौरान स्लम में रहने वालों के लिए बहुत सी समस्याएँ खड़ी हो जाती हैं जिसकी स्थिति काफी दयनीय होती है।

यहाँ पर पीने के पानी के विभिन्न स्त्रोत हैं। तीन परिवार पीने का पानी नल सप्लाई के द्वारा तथा आठ परिवार हैंड पम्प से पीने का पानी लेते हैं। अधिकतर परिवार पानी के टैंकर से पानी लेते हैं। जब पानी की सप्लाई अपर्याप्त रहती है, तो लोग काफी दूर से चलकर पानी लाते हैं। पानी की गुणवत्ता बहुत खराब होती है तथा बहुत प्रदूषित भी रहता है। सभी परिवार दूषित पानी पीने के लिए विवश हैं जिसके परिणामस्वरूप वे जल जनित रोगों से जूझ रहे हैं।

www.ignited.in

स्लम में रहने वाले लोगों की स्थिति बहुत खराब है और उनकी आजीविका के साधन न्यून हैं। सभी परिवारों में से एक परिवार के पास कुछ जरूरत का सामान पाया गया। यहाँ तक कि जानवरों के सम्बंध में सिर्फ एक परिवार के पास गाय है। एक छोटे से क्षेत्र में अस्थाई घर के अलावा कोई दूसरा स्थान नहीं है। यह स्लम कैंसर पहाड़ी पर स्थित है, स्लम के बाहर सड़क की स्थिति अच्छी है लेकिन आवासीय क्षेत्र के अंदर स्थिति खराब है अधिकतर बरसात के मौसम में।

यहाँ बिजली की आपूर्ति पर्याप्त नहीं है। केवल तीन परिवारों ने जवाब दिया कि बिजली की आपूर्ति अच्छी है। क्योंकि लोग आर्थिक रूप से गरीब है इसलिए अस्पताल की उपलब्धता कम है, केवल ग्यारह परिवार ने जवाब दिया कि वे अस्पताल सुविधा का लाभ उठा रहे हैं। स्कूल की सुविधा भी यहाँ नहीं है। केवल तीन परिवारों के पास अपने बच्चों के लिए स्कूल की सुविधा उपलब्ध है। इसलिए साक्षरता की दर कम है। पुरी जनसंख्या में 112 लोग साक्षर है जिसमें से पुरूष जनसंख्या 59 और महिला जनसंख्या 53 है।

दो समय के भोजन के लिए, अट्ठारह परिवार के पास पर्याप्त खाना है। 15 साल पहले, कुछ लोग ग्वालियर शहर और उसके आस-पास के नगरों तथा गाँवों से प्रवास करके आए हैं। लगभग 50 प्रतिशत परिवार आस-पास के क्षेत्रों से प्रवास करके आए हैं। परिवारों की महीने की आय 2000 से 7000 के बीच है।

यद्यपि, जो स्लम कम्पू क्षेत्र के मध्य में स्थित है वह सड़क और बिजली के खम्बों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। लेकिन अन्य क्षेत्रों के स्लमों की प्रमुख समस्या यह है कि वे सड़क, बिजली, पानी इत्यादि की सुविधाओं एवं उपलब्धता की पहुँच से परे है। अधिकतर लोगों के पास स्थाई आवास नहीं है। गम्भीर समस्या गर्मी, सर्दी और धूल की है जो हमेशा उनके साथ रहती है और परिणामतः बहुत सारे लोग अस्वस्थ हैं। लगभग 50 प्रतिशत लोगों ने जवाब दिया कि उनकी स्वास्थ्य दशा बहुत खराब है।

ENVIRONMENTAL IMPACT DUE TO SLUM:

पर्यावरण वह इकाई है जिसमें मानव के विकास के लिए आवश्यक संसाधन प्राप्त होते हैं। यह भी कह सकते है कि मानव विकास में पर्यावरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शहरी क्षेत्र अनेक पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करते हैं। यद्यपि क्षेत्रवार इन समस्याओं का पैमाना एवं इनकी तीव्रता में अंतर होता है। मानव जीवन की गुणवत्ता पर इनका प्रभाव महत्वपूर्ण होता है। शहरी क्षेत्र की पर्यावरणीय चुनौतियाँ गंभीर होती हैं और स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक प्रदर्शन पर इनका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

नगर में जितने भी कार्य होते हैं या गतिविधियाँ होती हैं उसका कोई न कोई प्रभाव पर्यावरण पर जरूर पड़ता है। जहाँ तक मलिन बस्तियों का प्रश्न है मलिन बस्तियों में आधारभूत सुविधाओं की कमी रहती है जिसके कारण वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतू अपने स्तर पर ऐसे कार्य करते है जिसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ता है।

स्लम के विभिन्न कार्यकलाप का प्रभाव पर्यावरण के दोनों पक्षों पर पड़ता है चाहे वह भौतिक पर्यावरण हो या फिर सामाजिक पर्यावरण।

मलिन बस्तियों का भौतिक पर्यावरण पर प्रभाव

स्लम निवासी अभावों के साथ जीते हैं उनके पास मूलभूत सुविधाएं भी नहीं होती हैं। इन क्षेत्रों की जनसंख्या सेप्टिक टैंक वाले निजी शौचालय, सार्वजनिक शौचालय और बड़ा भाग खुले में शौच का इस्तेमाल करता है। स्लमों में मल निर्यास प्रणाली का पूर्णतः अभाव रहता है। गृह इकाईयों से 60% से अधिक मल सीधे नालियों में निस्सृत किए जाते हैं। केवल 12% गृह-इकाई सार्वजनिक मल निर्यास का उपयोग करते हैं, शेष खुली नालियों, सेप्टिक टैंक पर आश्रित हैं और कुछ तो गलियों में ही इसे बहाते हैं। स्लमों में वाहित जल प्रबंधन और निष्पादन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है क्योंकि जल जमाव के कारण मच्छरों एवं मक्खियों को पनपने का मौका मिलता है और इससे अस्वच्छता की स्थिति पैदा होती है जो कि स्लमों में निम्न स्वास्थ्य स्थिति के लिए जिम्मदार होते हैं। इन क्षेत्रों में वर्षाकाल में जल जमाव एक बड़ा मुद्दा है।

1. **स्लम द्वारा वायु प्रदूषण-** ऊर्जा आपूर्ति की कमी के कारण, झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग खाना बनाने के लिए घरेलू ईंधन के रूप में गोबर के कण्डे, जलावन लकड़ी, निम्न स्तर के कोयले, सूखे पत्ते, सूखे घास-फूस इत्यादि का उपयोग करते है जो अत्यधिक मात्रा में धुआँ छोड़ते हैं। घरेलू ईंधन के इस भारी मात्रा में जलने से शहर के पर्यावरण के लिए कई समस्याएं पैदा होती हैं। इन क्षेत्रों के कुछ आवासों में Liquefied Petroleum Gas (LPG) सुविधा उपलब्ध है लेकिन फिर भी लोग किफायती होने के कारण घरेलू ईंधन को ही पसंद करते हैं। इस समस्या से उत्पन्न समस्याओं में बाहरी वायु की गुणवत्ता में गिरावट के साथ-साथ घरों के अंदर भी वायु प्रदूषित होती है जो स्वास्थ्य की गिरावट का कारण बनती है।

हर जगह कचरे के ढेर देखे जा सकते हैं। मलिन बस्तियों से निकलने वाले ठोस अपशिष्ट पदार्थों/कचरे का उचित निष्पादन नहीं होता जिससे स्लम में ही घरों के आस-पास कचरे के ठेर देखे जा सकते हैं। डंप किया हुआ कचरा दुर्गंध को बाहर निकालता है और साथ ही मक्खियों और मच्छरों के लिए प्रजनन स्थल बन जाता है, जो उनके लिए कई बीमारियों को जन्म देते हैं। इसके अलावा बच्चे इस तथ्य से अनजान हैं कि वे किसी घातक बीमारी से संक्रमित हो सकते हैं। इन कचरे के ठेर में स्थानीय लोगों द्वारा या तो आग लगा दी जाती है या फिर कचरे के ढेर को यूं ही छोड़ दिया जाता है जिससे आग लगाने के फलस्वरूप वायु प्रदूषण होता है या फिर कचरे के ढेर से दुर्गंध आने लगती है जो वायु को प्रदूषित करती है। बरसात के मौसम में स्थिति और ज्यादा दयनीय हो जाती है। कचरे का ढेर गीला होने से तेजी से सड़ने लगता है जिससे स्लम के लोगों की स्थिति कठिन हो जाती है और वातावरण नारकीय रूप धारण कर लेता है।

सागरताल बहोड़ापुर में कचरे का ढेर

2. **स्लम द्वारा जल प्रदूषण-** स्लम से निकले गंदे पानी के निष्कासन की कोई व्यवस्था नहीं होती है। मलिन बस्तियों के लोगों द्वारा उपयोग के बाद सारा गंदा पानी पास में ही बने गड्डे में इकट्ठा होता रहता है जिसमें मच्छर, मक्खियाँ पनपती हैं जिससे लोगों में जल जनित रोग तो होते ही हैं साथ ही यह गंदा जल स्वच्छ पानी के साथ मिलकर स्वच्छ पानी को भी दूषित करता है। चारों तरफ बरसात का पानी भरा रहता है जिससे सभी प्रकार के जल जनित रोग फैलते है। लम्बे समय तक एक ही जगह पर पड़े रहने के कारण यह भूमि को भी प्रदूषित करता है जिससे भूगर्भीय जल भी दूषित हो जाता है तथा यह जल प्रदूषण को बढ़ावा देता है।

शिंदे की छावनी में जल प्रदूषण

3. **अन्य कारण-** इस क्षेत्र के वर्गों में झगड़ा, झड़प और लड़ाई जैसे संघर्ष एक नियमित घटना है। ये घटनाएं शोर और हिंसा को बढ़ावा देती है, साथ ही क्षेत्र में सुरक्षा की कमी की ओर ध्यान आकर्षित करती हैं। ये घटनाएं शहरवासियों को परेशान करती हैं, खासकर स्लम के पास रहने वाले निवासियों, कार्यालय कार्यकर्ता तथा स्कूली बच्चों को। इसके अलावा, कई निवासी वेश्यावृत्ति, मादक पदार्थों की तस्करी, अपहरण, बलात्कार आदि गतिविधियों में शामिल रहते हैं जिससे शहर के सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण को खतरा पहूँचता है। हाशिये पर खड़े लोगों का अशिक्षा, वर्ग या जाति की स्थिति और लिंग जैसे कारक यह निर्धारित करते है कि क्या इस समूह को शहरी गरीबी में रहना चाहिए या नहीं।

गंदी बस्तियों का सामाजिक प्रभाव

1. **बीमारियों में वृद्धि-** गंदी बस्तियों के कारण जिले के प्रत्येक नगर में संक्रामक बीमारियों का प्रकोप बढ़ा है। गंदी बस्ती से उत्पन्न हुए कीटाणु व वायरस मनुष्यों के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। इसके अतिरिक्त गंदी बस्तियां व्यक्ति को शारीरिक व मानसिक रूप से रोगी बनाने में सहायक होती हैं।

2. **सामाजिक जीवन में नीरसता-** गंदी बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों का जीवन वयसनों व बुरी लत के कारण नीरस हो जाता है और वे सामाजिक कार्यों में भाग लेने से वंचित रह जाते हैं। उनमें सामाजिक कार्यों के प्रति उदासीनता बढ़ जाती है। समाज के बहुत से महत्वपूर्ण कार्यों में वे कोई सहयोग नहीं दे पाते।

3. **असामाजिक तत्वों में वृद्धि-** बस्तियों के निवासियों में विचारों की व्यापकता का अभाव पाया जाता है। इन बस्तियों के निवासी हर समय ऐसे लोगों से घिरे रहते

www.ignited.in

हैं जो कि असामाजिक कार्य करने में कोई संकोच नहीं करते। इसलिए गंदी बस्तियों के निवासी अपराधों की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यह भी कहा जाता है कि गंदी बस्तियां असामाजिक तत्वों या आपराधिक प्रवृत्ति की जननी हैं।

4. **निर्धनता-** गंदी बस्तियों के लोग नशा तथा मादक पदार्थों का सेवन करने में संकोच नहीं करते। वे इन पदार्थों का सेवन इतनी मात्रा में करते हैं कि वे उनका सेवन करने के आदी हो जाते हैं, इन लोगों में अपव्यय करने की आदत इतनी बढ़ जाती है कि वे निर्धनता के शिकार बने रहते हैं और इसी कारण वे अपराधी बन जाते हैं।

5. **वैयक्तिक विघटन तथा सामाजिक विघटन-** गंदी बस्तियों के कारण वैश्यावृत्ति, अपराध, मद्यपान, सेक्स अपराध, आदि का जन्म होता है। जिसके कारण व्यक्ति और समाज दोनों का विघटन होता है। इस विघटन में सामाजिक परम्पराओं व रीति-रिवाजों का महत्व कम हो गया है।

6. **मानसिक रोगों की वृद्धि-** गंदी बस्तियों के निवासियों को मनोरंजन का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता, इसलिए उनका सामाजिक विकास रूक जाता है और वे मानसिक रोगों के शिकार हो जाते हैं जिससे समाज का वातावरण दूषित होता है।

मलिन बस्तियों के सुधार के सुझावः

- नवीन गंदी बस्तियों की स्थापना को रोकना, बस्तियों को साफ रखना, सफाई के लिए कठोर नियमों का सख्ती से पालन करवाना।
- सामाजिक शिक्षा प्रसार द्वारा गंदी बस्तियों के निवासियों में शिक्षा के माध्यम से चेतना उत्पन्न करनी चाहिए।
- गंदी बस्तियों का उन्मूलन तथा सुधार करने के लिए मास्टर प्लान या योजना लागू की जानी चाहिए।
- सामाजिक कल्याण की योजनाओं को बढ़ावा देना चाहिए।
- यदि संभव हो सके तो गंदी बस्ती से संबंधित एक पृथक् मंत्रालय की स्थापना करनी चाहिए।
- नगरीय विकास संस्थाओं को प्रशासन के अधीन कर देना चाहिए।
- नगरों में स्वच्छ भवन निर्माण योजनाबद्ध तरीके से शुरू किया जाना चाहिए।
- नगरों में आने वाले लोगों और गंदी बस्तियों में निवास करने वाले लोगों के लिए कुटीर उद्योगों की स्थापना करनी चाहिए।
- सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना चाहिए।
- कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों को कारखाने तक आवागमन की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। गंदी बस्तियों के समीप औषधालय, स्कूल और खेलकूद के मैदान स्थापित होने चाहिएं। वहां उन सभी साधनों का विकास तेजी से करना चाहिए जिससे गंदी बस्तियों का सुधार संभव हो सके।

Gurukul study pattern at Utila village, Gwalior

नए स्लम के विकास के रोकथाम के उपाय (Measures of prevent the development of new slums):

हाल के वर्षों में मलिन बस्तियों की संख्या में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है क्योंकि विकासशील देशों में शहरी आबादी बढ़ी है। दुनियाभर में लगभग एक अरब लोग झुग्गियों में रहते हैं और 2030 तक यह आंकड़ा 2 अरब तक बढ़ सकता है यदि सरकारें और वैश्विक समुदाय झुग्गियों की अनदेखी करते हैं और वर्तमान शहरी नीतियों को जारी रखते हैं तो U. N. - HABITAT समूह का मानना है कि बदलाव असंभव है। 'मलिन बस्तियों के बिना शहर' (Cities without slums) के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र का दावा है कि सरकारों को जोरदार शहरी नियोजन, शहरी प्रबंधन, अधोसंरचनात्मक

विकास, झुग्गी उन्नयन और गरीबी में कमी का कार्य करना चाहिए। दो मुख्य उपाय हैं जिनके द्वारा हम नई मलिन बस्तियों के उद्भव को रोक सकते हैं-

1. **विधायी उपाय -** नई झुग्गियों को विकसित होने से रोकने के लिए एक बुनियादी काम सरकार कर सकती है। वर्तमान में शहरीकरण में लगातार वृद्धि हो रही है। सरकारें मानती है कि ग्रामीण विकास पर ध्यान देने जैसी वैकल्पिक नीतियों को अपनाने से शहरीकरण रूक जाएगा। सरकार गाँवों एवं शहरों के विकास हेतू कुछ नीतियों का क्रियांवयन कर रही है जिनमे प्रधानमंत्री आवास योजना और जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन योजना प्रमुख है।

2. **नियोजन उपाय –** सरकारें शहरी विकास की वास्तविकता को स्वीकार करती हैं तथा उनका अगला कदम यह योजना बनाना होता है कि नये निवासी कहां रहेंगे। अधिकारियों को भूमि की पहचान करनी चाहिए और इसके लिए योजना बनानी चाहिए, शहरी सेवाओं के लिए धन उपलब्ध नहीं होने पर भी इसे निपटाना चाहिए।

नई झुग्गियों के निर्माण को रोकने के लिए स्थानीय सरकारों को रणनीति विकसित करनी चाहिए। इनमें सस्ती भूमि तक पहुंच, उचित मूल्य की सामग्री, रोजगार के अवसर और बुनियादी ढांचा और सामाजिक सेवाएं शामिल होनी चाहिए। सार्वजनिक निवेश को बुनियादी सेवाओं और बुनियादी ढांचे तक पहुंच प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। लेकिन स्थानीय सरकारें मलिन बस्तियों के सुधार एवं उन्नयन के बजाए उन्हें पूर्ण रूप से हटाने के पक्ष में रहती है जिसमें वे निम्न कार्य करती हैः

(a) **Slum Clearance/Removal:** स्लम निकासी को आमतौर पर शहरी नवीकरण रणनीति के रूप में कहा जाता है, इसका उद्देश्य उन झुग्गियों को हटाना है जो राज्य के स्वामित्व वाले क्षेत्रों में हैं। इसे अक्सर भारत जैसे विकासशील देश में स्लम अपग्रेड का प्रथम चरण माना जाता है, लेकिन यह कई लोगों को बेघर कर देता है और वे अंततः अन्य क्षेत्रों पर कब्जा कर लेते हैं।

(b) **Slum Relocation:** स्लम रिलोकेशन की स्थिति तब निर्मित होती है जब शासन-प्रशासन Slum Clearance/Removal की नीति अपनाता है ऐसी स्थिति में स्लम से निर्वासित लोग पास ही अन्य स्थान पर स्थानांतरित हो जाते है क्योंकि वे लोग शहर के बाहर किसी अन्य जगह पर नौकरी करने में या अपनी आर्थिक क्रिया करने में सक्षम नहीं होते हैं। परिणामस्वरूप नई जगह पर स्लम का निर्माण हो जाता है। सरकार ने इस स्थिति में सुधार लाने के प्रयास में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों को भूमि व आवास देने की नीति बनाई है।

(c) **Slum Upgrading:** स्लम अपग्रेड एक शहरी नवीनीकरण रणनीति है, जिसमें झुग्गियों को ध्वस्त करके उस जगह पर किफायती आवास निर्मित करना है। स्लम अपग्रेड का मुख्य उद्देश्य स्लम निवासियों के निम्न जीवन स्तर को उच्च करना है। यह विकासशील देशों में शहरी विकास का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण घटक माना जाता है।

निष्कर्ष (EXTRACT)

अंततः मलिन बस्तियों के उद्भव के लिए हमने विभिन्न कारकों की पहचान की जिससे यह निष्कर्ष निकला कि मलिन बस्तियों के उद्भव को बढ़ावा देने के लिए सम्भवतः एक कारक जिम्मदार नहीं है अपितू कई कारक सम्मिलित रूप से उत्तरदायी हैं। किसी क्षेत्र या समाज के विकास की आधारशिला उसकी अर्थव्यवस्था होती है जो उस समाज के सम्पूर्ण पक्ष के विकास के लिए उत्तरदायी होती है।

हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करे तो वहाँ की अर्थव्यवस्था का आधारस्तम्भ कृषि, डेयरी/पशुपालन, मुर्गीपालन तथा कुटीर उद्योग हैं जिनसे ग्रामिणों की रोजी-रोटी का निर्वहन होता है। लेकिन बढ़ते हुए औद्योगीकरण, वैश्वीकरण तथा नगरीकरण के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था के साधन प्रायः शुन्य होते जा रहे है जिससे उनके सामने रोजगार की समस्या खड़ी हो गई है। बड़े कृषक या बड़े उद्यमि तो अपनी जीविका का निर्वहन कर लेते है लेकिन छोटे स्तर के कृषक और उद्यमी पूँजी के अभाव में और शासन की उदासीनता के कारण नगरों की ओर पलायन करने को विवश हैं। इसके अलावा गाँवों में अन्य आधारभूत सुविधाओं की भी कमी रहती है जिसकी पूर्ति नगर करता है और इसी आधारभूत सुविधाओं की पर्याप्तता और रोजगार की उपलब्धता ग्रामीणों को अपनी ओर आकर्षित करती है।

उपरोक्त कारणों से जहाँ एक तरफ ग्रामीणों को नगर में आसरा मिलता है वहीं दूसरी तरफ नगर मलिन बस्ति/स्लम क्षेत्र परेशानी से जूझ रहे हैं। दिन ब दिन मलिन बस्तियों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि नगरी शासन, प्रशासन एवं लोगों के लिए परेशानी का कारण बनती जा रही हैं। मलिन बस्तियों से उत्पन्न पर्यावरणीय तथा सामाजिक प्रदूषण नगर की दशा को

www.ignited.in

और खराब कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि हम नगर से मलिन बस्तियों को पूर्णतः हटा भी नहीं सकते क्योंकि जिस तरह नगर मलिन बस्तियों की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसी तरह स्लम एरिया भी नगर की कई आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। नगर में कई कार्य ऐसे होते हैं जिसके लिए जनशक्ति की आवश्यकता होती है जिसे स्लम एरिया पूर्ण करता है।

अतः वर्तमान में आवश्यकता इस बात की है कि किस तरह नगर और स्लम एरिया में सामंजस्य स्थापित किया जाए। क्योंकि वर्तमान स्थिति में दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। मलिन बस्तियों को हटाने के बजाय उनके उत्थान के लिए कार्य किए जाए जिसमें शासन-प्रशासन एवं स्थानीय लोगों की विशेष भूमिका हो तथा मलिन बस्तियों के लोग भी अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करे जिससे स्लम एरिया की दशा में सुधार हो और साथ ही नगर भी प्रतिकूल परिस्थितियों से बचा रहे।

संदर्भ-ग्रंथ सूची (BIBLIOGRAPHY)

नगरीय समाजशास्त्र, डॉ. गणेश पाण्डेय, अरुणा पाण्डेय

नगरीय समाजशास्त्र, श्रीमती शारदा तिवारी

Census of India 2011, Circular No. 8

District Census Handbook, Gwalior (Madhya Pradesh)

United Nations Human Settlement Programme (UN-HABITAT) report, 2007. Slum Dwellers to double by 2030.

Vishwambhar Prasad Sati (December 2012). Trends of Urbanization and its Implications to the Environment: A Case for Gwalior District, Madhya Pradesh. Major Research Project Report.

Vandana Agrawal (2014). Slums: Effects on Environment. Recent Research in Science and Technology 6(1): pp. 74-77.

Corresponding Author

Dr. Swati Verma*